कार्यालय :– जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर।

पत्रांक C-672 /जि0का0अ0/2022–23 दिनांक 13/7/2022

01. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्र0,
02. समस्त मुख्य सेविकायें,
कानपुर नगर।

आज दिनाक 13.07.2022 को आप सभी की अधोहस्ताक्षरी द्वारा जूम बैठक आहूत की गयी, जिसमे निम्नवत् निर्देश प्रदान करते हुये सभी से अपेक्षा की गयी, कि दिये गये निर्देशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- वर्तमान में पोषण ट्रैकर ऐप का नवीन वर्जन 14.4 सभी आंगनबाडी कार्यकर्त्रियों के फोन पर डाउनलोड करा दिया जाये।
- निदेशालय स्तर से निर्देश प्राप्त हुये है कि जिन बच्चों के आधार कार्ड अभी नही बने है उनके सम्बन्ध में पोषण ट्रैकर ऐप पर नवीन ऑपशन आया है, जिसके अनुसार अब बच्चे का आधार उपलब्ध न होने की स्थिति में बच्चे की माता का विवरण अंकित कर उनका आधार नम्बर फीड किया जाये एवं माता का भी आधार नम्बर उपलब्ध न होने की स्थिति में पिता/अभिभावक का आधार नम्बर अंकित किया जाये।
- समस्त लाभार्थियों के आधार नम्बर अनिवार्य रूप से वैरीफाई किये जाये। इस हेतु निदेशालय स्तर से 15 जुलाई 2022 अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है, अतः समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराया जाये।
- पोषण ट्रैकर ऐप की समस्त गतिविधियों को शतप्रतिशत फीड कराया जाये, जिसमें डेली मॉनीटरिंग हेतु केन्द्र औपनिंग, केन्द्र लॉग–इन, वजन अपडेशन, गृह भ्रमण, सी0बी0ई0, वी.एच.एस.एन.डी., टीकाकरण इत्यादि सभी गतिविधियाँ पूर्ण रूप से भरी जाये। आगामी समीक्षा में यदि किसी परिक्षेत्र की स्थिति संतोषजनक नही होगी तो सम्बन्धित मुख्य सेविका का वेतन रोकने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- सभी मुख्य सेविकायें एवं अन्य कर्मचारी लाभार्थियों के आधार इन्रोमेन्ट हेतु अपना पंजीकरण कराकर सम्बन्धित परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करें, अन्यथा की स्थिति में उनके वार्षिक वेतन वृद्धि को रोके जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- समस्त को निर्देश प्रदान किये गये कि जो आंगनबाडी कार्यकर्त्री/मिनी आंगनबाडी कार्यकर्त्री/आंगनबाडी सहायिका विगत काफी समय से बिना किसी सूचना/कारण के अपने केन्द्र से लगातार अनुपस्थित चल रही हो उनकी सेवा समाप्ति सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली में क्षेत्रीय मुख्य सेविका एवं कार्यालय स्तर से कब–कब सम्बन्धित कार्यकर्त्री/सहायिका को उनकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पत्र/नोटिस प्रेषित की गयी है इसका उल्लेख अवश्य किया जाये।
- आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण का सत्यापन अनिवार्य रूप से सभी मुख्य सेविकाओं के द्वारा किया जाये।

(दुर्गेश प्रताप सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
कानपुर नगर।

पृ0सं0 /तदैव/दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
02. जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर।
03. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
कानपुर नगर।